

न्यायालय सब जज—तृतीय, डुमरौव, जिला—बक्सर

टी0 एस0 नं0—78/2024

सुभाष कुमार ओझा वगैरह	—	वादीगण
बनाम्		
कन्हैया ओझा वगैरह	—	प्रतिवादगण

10.03.2025

वादी की ओर से आवेदन दिनांक—04.09.2024 आदेश 39 नियम 01 व 02 के अंतर्गत इस आशय से दाखिल किया गया है कि वर्तमान वाद वादी ने अपने हकियत के लिए तथा अतिक्रमण को रिमूब करने के लिए लाया है जिसमें प्रतिवादी उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल कर चुके हैं। विवादग्रस्त एराजी खाता नंबर 868 प्लॉट नंबर 260 रकबा 21 डी0 वादी की खरीदगी एराजी है जिसमें प्रतिवादी द्वारा 4 डी0 एराजी अतिक्रमण किया गया है जिसका नजरी नक्शा अर्जीदावी के अंत में दिया गया है। विवादग्रस्त एराजी में प्रतिवादी द्वारा जबरन असमाजिक व्यक्तियों के मेल में होकर जबरन बनावट का कार्य करने पर आमादा हो गये हैं तथा वादी द्वारा मना करने पर मारपीट एवं खुन खराबा करने पर उतारू हो जाते हैं जिस वजह से विवादग्रस्त एराजी पर भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिस वजह से निषेधाज्ञा के माध्यम से प्रतिवादी को रोकना आवश्यक है ताकि विवादित एराजी की सुरक्षा हो सके तथा वादी का जान माल सुरक्षित हो सके। वादी के पक्ष में प्राईमाफेसी केस है एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में एवं निषेधाज्ञा नहीं होने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी दूसरे रूप से नहीं किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रतिवादी को विवादग्रस्त एराजी में किसी तरह का बनावट का कार्य करने से या विवादग्रस्त एराजी पर जाने से हमेशा के लिए रोक दिया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए प्रतिवादी के द्वारा वादी के कथन को अस्वीकार करते हुए निवेदन करते हैं कि वादी का सवाल तथ्य एवं कानूनन पोषणीय नहीं है आवेदन के पारा नं0 1 से स्पष्ट है कि वे अपना ककियत एडजूडिकेट कर अतिक्रमण रिमूब कराने हेतु किया है जिससे साबित होता है कि वादी का हकियत तकरारी एराजी पर अभी न्यायालय द्वारा एडजूडिकेट कराना है। पारा नंबर 2 गलत एवं झूठ पर आधारित है वादी का कोई एराजी प्रतिवादी अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि प्लॉट 260 पर जितना भी निर्माण कार्य है वह प्रतिवादी के हक वो दखल ही एराजी है। जिसके बिक्रेता वादी के बिक्रेता ही थे। प्लॉट नंबर 260 में 21 डी0 एराजी वादी का था जिसमें से 14 डी0 वे एवं उनके परिवार बिक्री कर चुके हैं। नक्शा गलत किया गया है और तरदीद के अंत में न्यायालय को निर्णयन के लिए स्पष्ट नक्शा वादी के स्वीकृति दस्तावेज बंटवारा के आलोक में दिया जाता है जिससे साबित

होगा कि वादी एवं प्रतिवादी को एक-दूसरे के एराजी से कोई सरोकार नहीं है और वादी प्लॉट 260 में पूर्व तरफ ही है जबकि प्रतिवादी पश्चिम तरफ कायम है। पारा नंबर 3 गलत एवं झूठ है वादी ने स्पष्टतः कथन नहीं किया है कि प्रतिवादी द्वारा कब किस तारीख महीना साल में संरचना कार्य किए या आमदा हुए जबकि प्रतिवादी का स्थल पर बहुत पूर्व में डोर लेवल तक कार्य किए है और मात्र छत ढालने के समय विवाद किए जिसके निस्वत वादी दफा 144 सी.पी. सी. अंदर मुकदमा नंबर 118-एम. सन् 2024 किया गया जिसमें स्पष्टतः आदेश अप्रैल 2024 में हो चुका है। प्रतिवादी का दखल भी प्रमाणित है। पारा नंबर 3 का सारा कथन सवाल दाखिल के झूठ किया गया है। पारा नंबर 4 गलत है वादी का मुकदमा प्राईमाफेसी सही नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी के पक्ष में है। वादी को प्रतिवादी द्वारा अपने जमीन में बनाए गए मकान से कोई क्षति नहीं है प्रतिवादी अपना बयान तहरीरी भी दाखिल कर चुका है। जिसमें स्पष्ट कथन किए हैं जिसे भी तरदीद का अंश माना जाए। न्यायालय को जानकारी हो कि वादी का उनके अर्जी पारा नंबर 7 में दर्ज बंटवारा दिनांक-25.11.1997 के आधार वो उसके दर्ज कथन के आलोक में दावा किया गया है। अर्जी के पारा नंबर 7 में स्पष्ट वर्णित है कि प्लॉट 260 में पश्चिम रामरूप उपाध्याय (प्रतिवादी पूर्वज) को मिला एवं प्लॉट 260 में 21 डी0 पूर्व मुदई परिवार को मिला जिसके पूर्व प्लॉट 268 वादी की एराजी है जिसे प्रतिवादी मंजूर करते हैं जिससे साबित होता है कि प्रतिवादी वादी का कोई एराजी अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि प्रतिवादी अपने एराजी के संरचना किए हैं। इस प्रकार वादी का मुकदमा प्राईमाफेसी सही नहीं है। बंटवारा दस्तावेज पेज नंबर 2 पर वादी को जो एराजी प्लॉट 260 रकबा 21 डी0 मिला उसका चौहदी पूर्व प्लॉट 268 एवं पश्चिम रामरूप उपाध्याय प्रतिवादी पूर्वज एवं उत्तर रामरूप उपाध्याय एवं प्लॉट 262 एवं दक्षिण रास्ता दर्ज है। प्रतिवादी को जो एराजी प्लॉट 260 रकबा 79 डी0 मिला उसके दक्षिण वादी एवं छवर पूर्व वादी वो पश्चिम प्रतिवादी दर्ज है जो वादी के दावा को गलत साबित करता है। इस प्रकार वादी का मुकदमा प्रथम दृष्टया सही नहीं है। सुविधा का संतुलन दखल भी प्रतिवादी का कागजात वो स्थल के मुताबिक है। अतः कोई क्षति वादी को नहीं है। प्रतिपादित सिद्धांत उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का मंतव्य भी स्पष्ट है कि वादी का केस प्राईमाफेसी सही नहीं है एवं **if plaintiff not in possession not entitled to injunction** इस प्रकार वादी का सवाल पोषणीय नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक-04.09.2024 खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह वाद प्रतिवादी के द्वारा कथित अतिक्रमण हेतु लाया गया है। जिसमें वादी का कथन है कि प्लॉट नं0-207 में वादी तथा उसके भाई मिलकर 21 डी0 भूमि के खरीद किए तथा इसी प्लॉट में प्रतिवादी के द्वारा भी 79 डी0 भूमि खरीद किए गए।

कालान्तर में वादी प्रतिवादी के पिता के भी खरीदगी भूमि को लेकर के विवाद हुआ जिसमें दिनांक-25.11.1997 को वादी तथा उनके भाई चंद्रशेखर पाठक, भाभी रीता पाठक तथा प्रतिवादी के पिता रामरूप उपाध्याय के बीच यादास्त बंटवारा हुआ जिसमें खाता नंबर 868 के प्लॉट नंबर 260 में पश्चिम में रामरूप उपाध्याय को मिला तथा 21 डी0 भूमि पूरब से वादी एवं उसके परिवार को मिला। जबकि प्रतिवादी के द्वारा भी अपने प्रतिउत्तर में दिए गए नजरी नक्शा के आलोक में वादी की भूमि को प्लॉट नंबर 260 के पूरब में दर्शाया गया है जिसके पूरब में स्वयं वादी का प्लॉट नंबर 268 स्थित है। पुनः वादी के द्वारा दाखिल यादास्त बंटवारा के अवलोकन से विदित होता है कि दोनों पक्षों में बंटवारा के अनुसार जमीना नंबर-ख की भूमि अंतर्गत खाता 868 प्लॉट 260 रकबा 79 डी0 चौहद्दी उत्तर बच्चा साह दक्षिण चंद्रशेखर पाठक वगैरह पूरब चंद्रशेखर पाठक वगैरह तथा पश्चिम रामरूप उपाध्याय दर्शाया गया है जो वादी के द्वारा दिए गए नजरी नक्शा के अनुरूप सत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया वाद बनता प्रतीत होता है। चूंकि दोनों पक्षों के मध्य के बंटवारा की भूमि सन् 1997 में आपसी सहमति से हुआ था तथा उसी के अनुरूप अभी तक दोनों पक्षकार मौके पर विवादित भूमि के दखल कब्जे में रहे। ऐसी परिस्थिति में यदि प्रतिवादी के द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है और यदि निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से यह असुविधा वादी को कारित होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में माना जाता है। पुनः वादी का दखल कब्जा यदि प्रतिवादी के द्वारा यदि किसी निर्माण कार्य के द्वारा अतिक्रमित किया जाता है तो निश्चित रूप से वादी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना रहेगी। ऐसी परिस्थिति में वादी का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी को इस वाद के अंतिम निष्पादन तक विवादित भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य करने से निषिद्ध किया जाता है।

पुनः दोनों पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि अपने सुसंगत दस्तावेजों के साथ न्यायालय में सदेह उपस्थित रहें ताकि दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह की संभावना की सुनवाई की जा सके।

लेखापित

सब जज-तृतीय